रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2011/चैत्र 15, 1933
No. 71] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2011/CHAITRA 15, 1933

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 2-46/2010-एमएईएफ.—केन्द्र सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के समझौता ज्ञापन के पैरा सं. 3 और नियम एवं विनियम के नियम संख्या X के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति तथा निम्नलिखित नियम एवं विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (समूह 'क, ख, ग और घ' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद) भर्ती नियमावली है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

प्रारंभिक संविधान.–(1) इन नियमों के लागू होने से पहले नियमित आधार पर नियुक्त कार्मिक को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त माना जाएगा।

(2) प्रारंभिक संविधान के पद से पहले उप-नियम (1) में उल्लिखित कार्मिक की लगातार एवं नियमित सेवा की गणना प्रोन्नति, नियमतिकरण और सेवाकाल में पेंशन हेतु परीवीक्षा अवधि अर्हक सेवा के प्रयोजन से की जाएगी।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव	(एक)1* *कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" अराजपत्रित	वेतन बैंड-4, (37400-67000 रु. + 10000 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	अखिल भारतीय सेवा अथवा अन्य संगठित केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी अथवा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान का अधिकारी, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :– **अनिवार्य :** (क) (i) नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का पद धारण किया हो, (ii) वेतनमान ₹ 37400-67000 तथा ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर 3 वर्ष से नियमित आधार पर तैनात होना चाहिए, अथवा (ख) किसी प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था/अनुसंधान केन्द्र में सीनियर रीडर अथवा समकक्ष स्तर के अधिकारी को वेतनमान ₹ 37400-67000 तथा ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर 3 वर्ष से नियमित आधार पर तैनात होना चाहिए। **वांछनीय :** (क) सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में कार्य का अनुभव (ख) शैक्षिक योजनाओं के संचालन संबंधी कार्य का अनुभव (ग) शैक्षिक प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान (घ) हिन्दी और उर्दू भाषा का पर्याप्त ज्ञान (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार है :– सचिव (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय) —अध्यक्ष संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय) —सदस्य कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया —सदस्य	अपेक्षित नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान अधिकारी	(एक)1* *कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ।	समूह "क" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, (15600-39100 रु. और 5400 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त निकाय में कार्यरत अधिकारी, जो (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, (ii) ग्रेड वेतन 4600 के पद का 3 वर्ष का अनुभव रखते हों; (ख) अधिक्षकीय क्षमता में 8 वर्ष का अनुभवधारी व्यक्ति, जिसे अनुसंधान एवं विकास से जुड़े कार्यों का पूरा ज्ञान हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी)।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार है :– (1) सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान —अध्यक्ष (2) प्रशासनिक मंत्रालय से अवर सचिव/उप-सचिव स्तर का एक अधिकारी —सदस्य (3) कोषाध्यक्ष, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान —सदस्य	अपेक्षित नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	(एक)1	समूह "क" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, (15600-39100 रु. और 5400 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त निकाय में कार्यरत अधिकारी, जो (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, (ii) ग्रेड वेतन 4600 के पद का 3 वर्ष का अनुभव रखते हों ; (ख) अधिक्षकीय क्षमता में 8 वर्ष का अनुभवधारी व्यक्ति, जिसे अनुसंधान एवं विकास से जुड़े कार्यों का पूरा ज्ञान हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इन नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी)।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार है :– (1) सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान —अध्यक्ष (2) प्रशासनिक मंत्रालय से अवर सचिव/उप-सचिव स्तर का एक अधिकारी —सदस्य (3) कोषाध्यक्ष, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान —सदस्य	अपेक्षित नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखा अधिकारी	(एक)1* *कार्य अधिकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ।	समूह "ख" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, (9300-34800 रु. और 4800 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन 4600 रु. में न्यूनतम 6 वर्ष नियमित सेवा का अनुभवधारी लेखाकार जिसकी प्रोन्नति हुई हो तथा जिसे लेखाकरण, लेखों को अंतिम रूप दिया जाने, आयकर, भविष्य निधि से जुड़े मामलों का पूरा ज्ञान हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कार्यरत अधिकारी, जो— (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर ग्रेड वेतन 4200 रु. तथा वेतन बैंड 9300 रु.-34800 रु. के वेतनमान में नियुक्ति के बाद कम-से-कम 6 वर्ष की सेवा कर ली हो और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक उपाधि धारी अथवा समकक्ष उपाधि धारी हो, और लेखा और लेखा परीक्षा कार्य में निपुण हो तथा अंग्रेजी में टिप्पण और आलेखन कर सकता हो ।